



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/ 1463 जयपुर, दिनांक- 5-11-2014

::अधिसूचना::

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियाँ आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिसूचित किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिवृत्तियों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् **करौली** जिले की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है अतः कि :-

- करौली जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
- यह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में स्थानान्तरित पंचायतें अधिकारिता का प्रयोग करेंगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
- अनुसूची के स्तम्भ 4 में स्थानान्तरित पंचायतों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
- और पञ्चोत्तर आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देती जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति - करौली				
क्र.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रामों का नाम
1	1.खोहरी 2.कलाटवी 3.मोहनपुरा	3	4	5
2	-	-	1.कैलाटवी	1.कैलाटवी 2.मोहनपुरा

पंचायत समिति-समेटा				
क्र.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5

क्र.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रामों का नाम
1	1.खोहरी 2.कलाटवी 3.मोहनपुरा	3	4	5
2	-	-	1.कैलाटवी	1.कैलाटवी 2.मोहनपुरा

राज्यपाल को आज्ञा से,

(सचिव यावत)

शासन सचिव एवं आयुक्त

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
 - शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
 - निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
 - निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
 - समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राजः जयपुर।
 - समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
 - सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
 - समस्त जिला कलेक्टर।
 - अधीक्षक, राज्य केंद्रीय मुख्यालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - समस्त।
 - रक्षित प्रभावली।

उप शासन सचिव(विधि)



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एक.16(1)पुनर्गठन/विधि/पंसावि/2014/

1499 जयपुर दिनांक- 5-11-2014

अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एक.16(1)पुनर्गठन/विधि/पंसावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994/1994 का अतिरिक्त संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तिवा आमरण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अधिसूचना का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित वित्तीय अधिकृत द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन कराये जाने के पश्चात् करारी जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

- करारी जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित पंचायत समितियां उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
- वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायत समितियां अधिकारित का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
- अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
- और यथावत आदेश से चुनाव के पश्चात् वक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारिख से ही विद्यमान नही रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देनी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र. सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	प्रस्तावित पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	प्रस्तावित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	सपेटरा	1. खेडला 2. नारेली डोंग 3. जोरोता 4. खडीदा 5. एकट 6. हाडीती 7. बगोडा 8. सपेटरा 9. बुकना 10. बापोली 11. जोडली 12. बाजना 13. अमरखड 14. गोटरा 15. खोडागांव 16. ओडच 17. जाखीदा 18. इनायती 19. मरदुप 20. हरिया का मंदिर 21. लुलोज 22. गजपुरा 23. बालोली	सपेटरा	1. खेडला 2. नारेली डोंग 3. जोरोता 4. खडीदा 5. एकट 6. हाडीती 7. बगोडा 8. सपेटरा 9. बुकना 10. बापोली 11. जोडली 12. बाजना 13. अमरखड 14. गोटरा 15. खोडागांव 16. ओडच 17. जाखीदा 18. इनायती 19. मरदुप 20. हरिया का मंदिर 21. लुलोज 22. गजपुरा 23. बालोली

24. सलेमपुर	24. सलेमपुर
25. कुडावा	25. कुडावा
26. महमदपुर	26. महमदपुर
27. लोडिया	27. लोडिया
28. कायरोदा	28. कायरोदा
29. डिकाली कला	29. डिकाली कला
30. डभरा	30. डभरा
31. अमराठा	31. अमराठा
32. कालागुडा	32. कालागुडा
33. दौलतपुरा	33. दौलतपुरा
34. निमरा	34. निमरा
35. जानपुर	35. जानपुर
36. महाराजपुरा	36. महाराजपुरा
37. करणपुर	37. करणपुर
38. टोडा	38. टोडा
39. कसेड	39. कसेड
40. बहादुरपुर	40. बहादुरपुर
41. राहिर	41. राहिर
42. धोरेटा	42. धोरेटा
43. नीवर	43. नीवर
44. मौगपुरा	44. मौगपुरा
45. रोडई	45. रोडई
46. मन्डरायल	46. मन्डरायल
47. रानीपुरा	47. रानीपुरा
48. ओण्ड	48. ओण्ड
49. देवलीपुरा	49. देवलीपुरा
50. मीचाली	50. मीचाली
51. लोना	51. लोना
52. बाटदा	52. बाटदा
53. मोंकरी	53. मोंकरी
54. गुरदह	54. गुरदह
55. डूपडार	55. डूपडार
56. दरगना	56. दरगना
57. गढी का गांव	57. गढी का गांव
23/गढी का गांव	23/गढी का गांव

राज्यपाल के आदेश से,

(राजेश थावद)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, महागठिम राज्यपाल महीन्द्र राजस्थान।
- शासन सचिव, मुख्यमंत्री महेन्द्र राजस्थान सरकार जयपुर।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशेष शासन सचिव राज 00 जयपुर।
- समस्त संलग्नीय आयुक्त राजस्थान।
- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
- समस्त जिला कलेक्टर।
- अधीक्षक, राज्य लेखीय मद्रपाल जयपुर को प्रकाशनाथ।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
- रक्षित प्रवादनी।

उप शासन सचिव(विधि)